न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
017/2020(रा.अ.) (GCMS 2020/00300)	10.08.2020	26.03.2025

अनवान

औंकारसिंह पिता लक्ष्मणसिंह चौहान, उम्र वयस्क निवासी हिम्मतनगर जोधपुर, हाल मुकाम रकबपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

नारायणलाल पिता पूनमचंद मोची, उम्र वयस्क निवासी च–24 कुम्भानगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– चन्दनमल जणवा अपीलार्थी
गौरव परमार प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 085/2016 आदेश दिनांक 03.03.2020 बअनवान नारायणलाल बनाम ऊंकारसिंह

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ बमिसल कमांक 085/2016 प्रार्थना–पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.03.2020 से व्यथित होकर निवेदन किया गया हैं कि विचारण न्यायालय ने बिना अपीलार्थी/विपक्षी को सुने विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर दिनांक दिनांक 30.03.2021 को प्रत्यर्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/राजस्व/2020/1678 दिनांक 18.12.2020 से मूल अभिलेख पत्रावली प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर हैं। दिनांक 06.07.2021 को प्रत्यर्थी की और से जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 04.10.2023 को प्रत्यर्थी की और से लिखित बहस पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में उभयपक्षकारान की सहमति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्राप की जाकर बहस पत्रावली हेतु रखा गया।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2020 की जानकारी दिनांक 28.07.2020 को अधीनस्थ पटवारी हल्का सेंती द्वारा मौके पर आकर अपीलार्थी को उसके भूखण्ड से कब्जा हटाने के आदेश होने की जानकारी हुई जिससे नकल दिनांक 30.07.2020 को प्राप्त हुई इसके बाद बिना किसी देरी अपील पेश की गई, इसलिए अपील पेश करने में हुए उपरोक्तानुसार विलम्ब को क्षम्य फरमाया जाकर अपील को अंदर अवधि दर्ज कर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना–पत्र में जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक 03.03.2020 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 28.07.2020 को होने की बात पूर्णतया गलत हैं, अपितु अपीलार्थी की जानकारी अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही हैं और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र जारी किया हैं जो कि सूचना पत्र विपक्षी को पूर्ण रूप से तामील हो चुका हैं और जिसकी तामील रसीद भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलार्थी जानबूझकर अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पर्याप्त समय मिला परन्तु इसके बावजूद भी अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर हैं, कोई सद्भावना अथवा सद्आश्यता का नहीं हैं। जिससे अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को कण्डोन किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया की माननीय शीर्ष न्यायालयों ने भी दफा 05 कानून मियाद प्रार्थना–पत्र पर उदारता का रूख अपनाते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता रहा हैं, एवं निर्णय दिनांक 03.03.2020 की नकल दिनांक 30.07.2020 को प्राप्त हुई हैं एवं इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 के साथ स्वयं का सच्चा शपथ–पत्र पेश किया गया हैं, अतः प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कन्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण को मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता हैं, अतः मियाद प्रार्थना–पत्र के निर्णय को रिजर्व करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रत्यर्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय का पेश किया कि मौजा सेंती की आराजी संख्या 1590 रकबा 0.64 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1591 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड हैं, जिसमें प्रार्थी द्वारा खातेदार मदनलाल गुर्जर से प्लॉट संख्या 62 रकबा 1225 वर्गफीट दिनांक 31.03.1995 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया तभी से कब्जे में चला आ रहा है। अप्रार्थी का प्रार्थी के भूखण्ड से कोई संबंध नहीं होतु हुए भी प्रार्थी की निर्मित चार दीवारी को गिरा कर उस पर निर्माण करने पर आमादा हैं। इसलिए प्रार्थी को पुनः कब्जा दिलाया जावे। जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/विपक्षी को नोटिस जारी किया व दिनांक 18.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए एक पक्षीय साक्ष्य ली जाकर दिनांक 03.03.2020 को प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए 1225 वर्गफीट से अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये व लगान के 150/– रूपये शास्ति वसूल करने के आदेश पारित किये जिसके विरूद्ध अपीलार्थी की और से प्रथम अपील पेश हैं।

बहस जारी रखते हुऐ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से अवलोकन स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 07.02.2016 से 10.10.2019 तक लगभग 17 माह तक पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हुई उसके बाद अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली को दिनांक 10.10.2019 को पुनः नम्बर पर ली जाकर प्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश किया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत हैं कि किसी भी अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जना न्यायोचित एवं विधि संवत् होता हैं लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को केवल मात्र सूचना पत्र जारी किये जाने का आदेश पारित किया जो त्रुटिपूर्ण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पश्चात्वर्ती सभी कार्यवाही विधि अनुसार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रत्यर्थी का उसकी कृषि भूमि पर दिनांक 31.03.1995 से कब्जा है। अपीलार्थी ने उक्त कृषि भूमि को क्रय करने से पूर्व न तो प्रत्यर्थी से पूछा और न ही बिना किसी जांच के कृषि भूमि को क्रय किया।

उक्त कृषि आराजीयात पर अपीलार्थी/विपक्षी ने जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रत्यर्थी/प्रार्थी अनुसूचित जाति का हैं, नियमानुसार अनुसूचित जाति की आराजी पर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति कब्जा बनायें नही रख सकता हैं। अपीलार्थी/विपक्षी ने जान बुझकर अपने ताकत के बल पर कब्जा बनाये रखा हैं जिस कारण प्रत्यर्थी/प्रार्थी अपनी आराजी उपयोग–उपभोग से वचिंत हैं। अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को उसकी आराजी से अवैध कब्जा हटाने हेतु कहा परन्तु अपीलार्थी/विपक्षी ने कोई कब्जा नही हटाया न हटाने हेतु तैयार हुए जिस कारण प्रत्यर्थी/प्रार्थी को अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अधीलाधीन निर्णय दिनांक 03.03.2020 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं नियमों के अनुसार निर्णय पारित किया है। प्रत्यर्थी/प्रार्थी जाति से खटीक होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलार्थी/विपक्षी जाति से अहीर होकर सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनके द्वारा आपस में भूमि का हस्तांतरण करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के अनुसार अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप प्रत्यर्थी/प्रार्थीया कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2014(1)** पेज संख्या 658 अनवानी श्रीकिशन बनाम हरबक्ष, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1063 अनवानी उगमसिंह बनाम सरकार, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1444 अनवानी पूर्णाराम बनाम संपतराम एवं **RRT 2016-17(Supp.)** पेज संख्या 595 अनवानी अतरसिंह बनाम राजस्व मण्डल पेश किये एवं न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात कराया एवं निवेदन किया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्च आदेश से विधिक निर्णय पारित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की भूल/त्रुटि नहीं की गई है, जिस से अपील अपीलार्थी खारिज किए जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस समाप्त की।

बहस के रिवटल में अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि आराजी संख्या 1590 व 1591 अपीलार्थी/प्रत्यर्थी एवं 25 अन्य सहखातेदारान के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होता है ऐसी स्थिति में जब तक वादी/प्रार्थी अधीनस्थ सक्षम न्यायालय से विभाजन करा अपना हिस्सा अलग नहीं करवा लेता तक तक कोई विशेष भू-भाग उसके स्वामित्व का नहीं माना जा सकता है और विशेष भाग बिना विभाजन के किसी व्यक्ति विशेष स्वामित्व का माना ही नहीं जा सकता तो वह अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कब्जा लेने की कार्यवाही करने के लिए किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं रहता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सारे तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए जो आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के अधिवक्ता को जानकारी दिये बगैर प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो कि अधीनस्थ न्यायालय की विधिक भूल थी, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की बिना सुनवाई, साक्ष्य शहादत का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया गया जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 085/2016 निर्णय दिनांक 03.03.2020 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**''

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 20.10.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसमें आदेशिका दिनांक 18.07.2017 से विपक्षी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के सूचना पत्र से सूचित किये जाने बावजूद उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा की गई। उक्त नोटिस की प्रति एवं ऑनलाईन ट्रेकिंग अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। प्रश्नगत आराजीयात की सहखातेदार प्रत्यर्थी है इस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रत्यर्थी जाति से मोची होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। जबकि अपीलार्थी जाति से राजपूत होकर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी में आते हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि अधिनियम, 1955 में संशोधन करके धारा 183–बी 1978 में उक्त अधिनियम में जोड़ी गयी है, जिसमें 1970 की स्थिति देखने की बात कही गयी है, अतः उक्त धारा 183–बी 1970 से पहले के प्रकरणों पर लागू नहीं है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा 1965 से है, जिसे प्रत्यर्थी/प्रार्थीया द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को 1965 के बाद कभी भी कब्जे से बेदखल नही किया गया है, ऐसी स्थिति में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 के प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे सम्बन्धी तथ्यात्मक बिन्दु पर पूर्ण विश्लेषण व विवेचन नहीं किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा 1965 के पहले का है और चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में संशोधन करके धारा 183–बी जोड़ी गयी है, अतः 1978 से पहले के कब्जाशुदा अपीलार्थी को बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का अवलोकन करना उचित रहेगा, जो निम्न प्रकार है :–

183B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.

(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser.

उक्त धारा 183–बी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में जोड़े जाने की पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि पहले सभी श्रेणी के खातेदारान द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 183 में ही लाया जाता था। 1970 से पहले उक्त धारा 183 के प्रावधान अनुसार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा वह व्यक्ति ला सकता था, जो ऐसे अतिक्रमी को बतौर कृषक स्वीकार करने हेतु अधिकृत **(person or persons entitled to admit trespasser as tenant)** था। 1970 में उमा बनाम कजोड़ के प्रकरण (1970 RRD 387) में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी खातेदार कृषक किसी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि पर बतौर कृषक स्वीकार करने के लिये अधिकृत नहीं हैं, इस कारण वह ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा भी नहीं ला सकता है। इससे होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु 1970 में धारा 183 में संशोधन करके शब्दावली **"entitled to admit"** को विलोपित कर शब्दावली **"entitled to eject"** प्रतिस्थापित की गयी। बाद में अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान को अतिक्रमियों से त्वरित राहत दिलाने के प्रयोजन से नवीन धारा 183–बी जोड़ी गयी। धारा 183–बी के अन्तर्गत बेदखली का आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था, जो अतिचारी को बेदखल करने के हकदार हैं। इसमें भी कठिनाइयां महसूस की गयी, क्योंकि कभी कभी प्रभावशाली अतिचारी के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति बेदखली हेतु आवेदन नहीं कर पाता था। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये वर्ष 1989 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार इस हेतु अधिकृत करे, विहित तरीके से धारा 183–बी के अन्तर्गत आवेदन कर सकेगा। अधिसूचना दिनांक 05.06.1989 द्वारा समस्त गिरदावर, पटवारी, सरपंच व ग्राम सेवक को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। इस प्रकार धारा 183–बी का वर्तमान स्वरुप वस्तुतः अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक–आर्थिक सुधारों के प्रति राज्य सकार की वचनबद्धता का परिणाम है। किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरुप संवेदन शीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त करायेगा। उक्त धारा 183–बी में अथवा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन (statement of Objects and Reasons) में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कि यह नवीन धारा 1978 के बाद कब्जा किये जाने वाले प्रकरणों पर ही लागू होगी।
अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के अन्तर्गत प्रकरण दायर करने के लिये केवल निम्न शर्त हैः–

(1) कि जो व्यक्ति प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है वह या तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना चाहिये, या ऐसा अधिकारी होना चाहिये जो इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आदेश देने के लिये अधिकृत हो।
(2) वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में होनी चाहिये।
(3) जिस व्यक्ति के विरूद्ध बतौर अतिक्रमी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा हैं, वह व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति, जनजाति को होना चाहिये, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया हैं या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुये (A trespasser who has taken or retained possession without lawful authority) हैं।
(4) प्रस्तुत प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने से 12 साल की मियाद में होना चाहिये।

हस्तगत प्रकरण में निर्विवाद रुप से प्रत्यर्थी/प्रार्थी अनुसूचित जाति की है, जिसकी अभिलिखित सहखातेदारी की भूमि पर अपीलार्थी/विपक्षी काबिज है जो निर्विवाद रुप से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, और उनके पास उक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई विधिक अधिकार (lawful authority) नहीं है। यहां एक मात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रार्थी द्वारा 2016 में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने की दिनांक से 12 साल की मियाद में है?

इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 03.03.2020 में अपीलार्थी को अतिक्रमी माना है किन्तु धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में परिभाषित अतिक्रमी में अपीलार्थी नहीं आतें है। धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अतिक्रमी को निम्नानुसार परिभाषित किया है :–

(44) "Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कमिश्नरी रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी काा आराजी संख्या 1590 व 1591 के रकबा 1225 वर्गफीअ पर अपने हक हिस्से अनुसार काबिज रहा है। जहां तक अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का तथ्य अपीलार्थी द्वारा उठाया गया है, इस संबंध में अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी को नोटिस प्राप्ति के पश्चात् लगभग 3 वर्षो से अधिक समय का अवसर प्रदान किया गया है, जबकि अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत धारा 183 'बी' के प्रकरणों के निस्तारण की अवधि 3 माह निर्धारित की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का यह कथन भी स्वीकार किये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने योग्य नहीं हैं, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी को हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान किया किया जाकर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसरण में अपीलार्थी/विपक्षी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया।

इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात करने पर हमारा ऐसा अभिमत है उक्त प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं एवं प्रकरण में प्रत्यर्थी को तर्को को बल प्रदान करते हैं, ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने से हमारा अभिमत है कि उक्त हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 085/2016 निर्णय दिनांक 03.03.2020 में किसी भी प्रकार विधिक भूल/त्रुटि कारित नहीं किया जाना प्रकट होता है एवं अपीलाधीन निर्णय में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के निर्णय की पुष्टि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हस्तगत अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होकर बलहीन होने से खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2020 प्रकरण संख्या 085/2016 अनवानी नारायण बनाम औंकारसिंह अन्तर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**26.03.2025**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official